



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

प्रो. आनन्द पाटील

कुलसचिव

Prof. Anand Patil

Registrar




दूरभाष / Phone : +91-7152-230902

फैक्स / Fax : +91-7152-247602

पत्रांक : 21/PRO/आ.स्वा.बी.कार्ड/2020-21/35 / 40
दिनांक : 14/06/2024

सूचना

विश्वविद्यालय के शोधार्थियों तथा विद्यार्थियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वर्ष 2024 के शेष स्वास्थ्य बीमा कार्ड बन गये हैं। जिन शोधार्थियों एवम् विद्यार्थियों के स्वास्थ्य बीमा कार्ड अब तक अप्राप्त हैं, वे अपने-अपने कार्ड कुलानुशासक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।


(कुलसचिव) 14/06/2024

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा)

- 1) कुलपति कार्यालय
- 2) कुलसचिव कार्यालय
- 3) कुलानुशासक कार्यालय
- 4) अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण
- 5) मुख्य छात्रावास अधीक्षक
- 6) प्रभारी लीला (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
- 7) संबंधित पत्रावली